



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00078

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 17/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री रविरतन पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया —नमूना विक्रेता एवं मालिक—  
मै० विजय रेस्टोरेन्ट, 4 बी, पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर —जिला श्रीगंगानगर।  
निवासी :- 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(5)/51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 22.10.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.08.2019 को दोपहर पूर्व 11.00 बजे श्री राकेश सेतिया, लेब तकनीशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स विजय रेस्टोरेन्ट, 4 बी, पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर— जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर रविरतन पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया निवासी 572, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को मैसर्स विजय रेस्टोरेन्ट का मालिक एवं फूड लाईसेंसी होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त फर्म का निरीक्षण किया तो वहां 2 टीन के पीपो में लगभग 40 किलोग्राम गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) ग्राहको को सर्व करने हेतु रखा बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच K-973 के नमूनीकरण के लिये 2 किलोग्राम गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) विधि अनुसार स्टील की साफ एवं सुखे बरतन में खरीदा जिसकी कीमत 300/-रु० (अखरे रुपये तीन सौ चौमालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं श्री विशाल जसूजा के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।



*amp*  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00078

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता रविरतन पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) को बराबर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर एवं उनमें परिरक्षक मिलाकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक K-973 एवं अन्य विवरण दर्ज किया। प्रत्येक नमूना कोड पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप K-973 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोड़कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1815/एक्ट/2019/1348 दिनांक 20.08.2019 नमूना K-973 गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) अमानक स्तर SUBSTANDARD होना पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रविरतन पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया, निवासी 572,विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गुलाबजामुन (वनस्पति में 2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट, श्रीगंगानगर का प्रोपराईटर है तथा श्रीमान जी प्रार्थी को इस आशय का नोटिस दिया गया कि प्रार्थी के द्वारा विक्रय किये जाने वाले गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) में अमानक फूड पाया गया। श्रीमान जी प्रार्थी के द्वारा श्रीगंगानगर मार्केट से फोरचुन व गगन कम्पनी का वनस्पती तेल का खरीद किया गया था तथा वनस्पति की गुणवत्ता, क्वालिटी का प्रार्थी को ज्ञान नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त गलती की क्षमा याचना करता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से अर्ज है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) का सैम्पल के-973 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1815/एक्ट/2019



जयपाल व अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00078

/1348 दिनांक 20.08.2019 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26 (2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट, श्रीगंगानगर का प्रोपराईटर है तथा श्रीमान जी प्रार्थी को इस आशय का नोटिस दिया गया कि प्रार्थी के द्वारा विक्रय किये जाने वाले गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) में अमानक फूड पाया गया। श्रीमान जी प्रार्थी के द्वारा श्रीगंगानगर मार्केट से फोरचुन व गगन कम्पनी का वनस्पती तेल का खरीद किया गया था तथा वनस्पति की गुणवत्ता, क्वालिटी का प्रार्थी को ज्ञान नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त गलती की क्षमा याचना करता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से अर्ज है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस खारिज करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2019 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त रविरतन पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया नमूना विक्रेता एवं मालिक -पर **SUBSTANDARD** के तहत गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 10,000/-रुपये (अखरे रुपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में गुलाबजामुन (वनस्पति में तैयार) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. गुजन सोनी)  
न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर।